फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती कमलाबाई बनाम विपक्षी : श्रीमती संतोकबाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 89/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 14.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में द्वितीय रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल फाईल रहे। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने पाया कि अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर बंटवाडा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई जिससे दिनांक 28.10.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने के आदेश दिये गये। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया कि वादग्रस्त खसरा न. 777 रकबा 0.1000 है. भूमि पर प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर कब्जा नहीं होकर वर्तमान में आम रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है। वादग्रस्त खसरा न. 777 रकबा 0.1000 है. भूमि के खेत के नाम में डोली शब्द अंकित है। उक्त भूमि पूर्व में डोली ही थी एवं खातेदार के नाम पर गलत इन्द्राज हुई है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट में बताया कि उक्त भूमि विगत 60 वर्षो से अधिक समय से केदारेश्वर महादेव मंदिर पर आवागमन के रास्ते के रूप में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है जिस पर प्रकरण के वादी व उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा है साथ ही बताया कि मौके पर वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक हित के उपयोग की होने तथा मौके पर विवाद होने के कारण प्रारम्भिक डिक्री की पालना किया जाना संभव नहीं है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वादग्रस्त खसरा न. 777 रकबा 0.1000 है. पूर्व में डोली की भूमि थी एवं खातेदार के नाम गलत इन्द्राज हुई है साथ ही स्पष्ट किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा न. 777 रकबा 0.1000 है. भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर कब्जा नहीं होकर वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि को हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का अनुतोष चाहा गया था जिससे वादग्रस्त भूमि में हिस्से कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने के आदेश पारित हुये किन्तु वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी मौके पर काबिज नहीं है जिससे बंटवाडा किया जाना संभव नहीं है जिससे वादी का वाद अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

— :: आदेश :: —

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अंतिम डिक्री सर्वत्र जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:49:11 IST
Reason: SelfAttested